(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक एक/अपील/शिवपुरी/भू.रा./2017/2060 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22.03.2017 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 635/अपील/2015—16.

.....

1—राम रतन सिंह
2—मूलचंद सिंह पुत्रगण श्री मर्दन सिंह
निवासीगण ग्राम काठी तहसील
कोलारस जिला शिवपुरी म0 प्र0

———अपीलार्थीगण

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी

———प्रत्यर्थी

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री राजीव शर्मा, अभिभाषक शासन प्रत्यर्थी

.....

आदेश

(आज दिनांक 01-04-2019 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2—प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7—ख) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जाकर अपने स्वत्व एवं स्वामित्व के सर्वे कमांक 670/1 रकवा 0.80 हैक्टेर भूमि की विकय करने अनुरोध किया गया। अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा बिना सूचना दिये एवं सुनवाई किये वगैर एवं राजस्व अधिकारियों से जांच प्रतिवेदन मंगाये बिना आवेदन निरस्त कर दिया

गया। जिससे दुखित होकर अपीलार्थीगण द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 635/अपील/2015–16 पर दर्ज होकर अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी का आदेश निरस्त किया गया लेकिन अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा स्पष्ट रूप से बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया, इसी से दुखित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान प्रकरण पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अपील न्यायालय के अभिलेख को देखने के पश्चात यह निष्कर्ष दिया है कि न्यायालय के द्वारा जांच प्रतिवेदन आहूत किये बिना और अपीलार्थीगण को अपना पक्ष समर्थन का अवसर दिये बिना ही पहली पेशी पर ही आवेदन अस्वीकार किया गया है। अपीलार्थी को विवादित भूमि को विकय करने के संबंध में कोई निष्कर्ष न देकर कानूनी भूल की है। तर्क में यह भी कहा गया है कि विवादित भूमि के संबंध में विकय की अनुमति चाही थी जिसमें यह भी स्पष्ट कर दिया था कि विकय करने के पश्चात अपीलार्थीगण भूमिहीन नहीं रहेगें अर्थात उनके खाते में और भूमि है। विकय किये जाने वाली भूमि से प्राप्त प्रतिफल का उपयोग खेती के लिये ही किया जावेगा तथा यह भी स्पष्ट किया गया था कि भूमि असिंचित होने के कारण फसल नहीं हो रही है इन सभी तथ्यों पर अधीनस्थ अपील न्यायालय को स्वयं विचार कर आदेश पारित करना चाहिये था। अपील न्यायालय को यदि किसी साक्ष्य की आवश्यकता थी तो स्वयं जांच प्रतिवेदन आहूत कर प्रकरण में अपीलार्थीगण की साक्ष्य लेकर प्रकरण में बोलता हुआ आदेश पारित करना चाहिये था। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त कर तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं होने से निरस्त कर अपीलार्थो को भूमि विकय करने के आदेश करने का निवेदन किया गया है।

4–शासन के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि कलेक्टर जिला शिवपुरी का आदेश उचित एवं सही है, उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसका निष्कर्ष स्पष्ट रूप से नहीं निकल रहा है। अतः अपीलार्थीगण की अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तगण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा बिना राजस्व अधिकारियों से प्रतिवेदन मंगाये अपीलार्थी का आवेदन प्रथम पेशी पर ही निरस्त कर दिया गया। अपर आयुक्त के यहां अपील होने पर अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा अपर कलेक्टर जिला शिवुपरी का त्रुटिपूर्ण आदेश तो निरस्त किया लेकिन उनके द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया जिससे अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की गई लेकिन उससे उनको कोई लाभ नहीं मिला, जबकि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने AIR 1969 --sc 1167 में यह मत दिया है कि "जब निर्णय सकाराण न हो तो वह निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है।"** अपीलार्थी के द्वारा अपने आवेदन में स्पष्ट लेख किया गया था कि विवादित सर्वे नम्बर 670/1 रकवा 0.80 हैक्टेर गांव से अधिक दूरी होने से देखभाल नहीं हो पाती है इसलिये खेती भी नहीं हो पा रही है। भूमि विकय के बाद विकय से प्राप्त धनराशि का उपयोग खेती के लिये ही करेंगे। इस आधार पर विकय की अनुमति दे देनी चाहिये थी क्यों कि अपीलार्थीगण द्वारा अपने आवेदन में लेख कर **बताया गया है कि अपीलांट भूमि विकय करने के पश्चात भूमि रकबा 2.4400 हैक्टेयर शेष बचेगी। यानी वह भूमिहीन नहीं होगा अर्थात उसकी आजीविका का साधन शेष है। अपीलांट के अधिवक्ता के तर्कानुसार आवेदित भूमि भूमिस्वामी हक में दर्ज है, इसका अर्थ यह हुआ कि अपीलांट की भूमि शासकीय पटटे पर प्राप्त न होकर स्वयं के स्वामित्व की है, और ऐसा भूमिस्वामी अपनी भूमि को विकय करने हेतु स्वतंत्र है, क्यों कि शासन से पटटे पर प्राप्त भूमि का पटट्धारी पटटे की शर्तो का पालन करते हुये 10 वर्ष व्यतीत**

होने पर भूमिस्वामी बन जाता है, जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

6–प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित होता है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है जो शासन से पटटे पर प्राप्त नहीं है। अपीलार्थीगण पिछडे संवर्ग के हैं जिसके कारण उन्होंने भूमि विकय की अनुमति मांगी है। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7–ख) प्रतिबन्धित करती है कि कोई भी शासकीय पटटेदार अथवा भूमिस्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि का विकय नहीं करेगा और इसी प्रतिबन्ध के कारण अपीलार्थी ने अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विकय की अनुमति मांगी है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी को स्वअर्जित एवं भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि विकय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नजर नहीं आती है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस पर विचार न करने में भूल की है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 102/2012–13/अ–21 में पारित आदेश दिनांक 04.05.2013 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का प्रकरण कमांक 635/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22.03.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अपीलार्थीगण को ग्राम काठी की सर्वे कमांक 670/1 रकवा 0.80 हैक्टेयर तहसील कोलारस जिला शिवपुरी में स्थित कृषि भूमि की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि केता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा। उप पंजीयक कोलारस को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफट/नेट बैकिंग से अपीलार्थी के खाते में जमा की जावेगी। परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर